



पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802(अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 777 /अका./का.प/2023

रायपुर, दिनांक 22/09/2023

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की '81वीं' बैठक शुक्रवार दिनांक 22.09.2023 को अपराहन 03.00 बजे कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:-

डॉ. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति –अध्यक्ष

- | | | | |
|----------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| 1. डॉ. व्यास दुबे | – सदस्य | 7. डॉ. जे.एन. केशरवानी | – सदस्य |
| 2. डॉ. अभया आर. जोगलेकर | – सदस्य | 8. डॉ. मनोज कुमार मिश्रा | – सदस्य |
| 3. डॉ. आर.के. ब्रह्मे | – सदस्य | 9. श्रीमती प्रेमा गुलाब एक्का | – सदस्य |
| 4. डॉ. रोहिणी प्रसाद | – सदस्य | 10. डॉ. गिरिश चंदेल | – सदस्य |
| 5. डॉ. के.एन. शर्मा | – सदस्य | 11. श्री सत्यनारायण शर्मा | – सदस्य |
| 6. डॉ. अल्फारेखा सी. जेम्स | – सदस्य | | |

डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल, कुलसचिव –सचिव

कार्यवृत्त

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 04.08.2023 एवं आपात बैठक 16.08.2023 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान करना।

निर्णय: संपुष्टि की गई।

2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 04.08.2023 एवं आपात बैठक 16.08.2023 की कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

3. सामान्य मद एवं परीक्षा मद से विभिन्न प्रकार के भुगतान हेतु राशि रु. 4,50,00,0000 /-(चार करोड़ पचास लाख) सावधि पूर्व भुगतान प्राप्त कर परीक्षा मद खाता क्रमांक 10049590022 में रु. 3,00,00,000 /- (तीन करोड़) एवं सामान्य मद खाता क्रमांक 10049590033 में रु. 1,50,00,000 /- (एक करोड़ पचास लाख) स्थानांतरित किया गया की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

4. भारतीय स्टेट बैंक में विभिन्न मदों में जमा राशि से 4,00,00,000 /-(चार करोड़) 30 दिन के लिए एवं 2,50,00,000 /- (दो करोड़ पचास लाख) एक वर्ष के लिए, कुल राशि रु. 6,50,00,000 /- (छ: करोड़ पचास लाख) को सावधि जमा किए जाने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।


5. डॉ. गुणीश चंद्र शाकार, लैब टेक्नीशियन, के अवकाश नगदीकरण की राशि रु. 06,28,718.00 (रुपए छ: लाख अठाईस हजार सात सौ अठारह मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

6. सत्र 2023-24 हेतु छात्रवृत्ति चयन समिति के गठन के संबंध में विचार करना।
निर्णय: सत्र 2023-24 छात्रवृत्ति चयन समिति के लिए निम्नलिखित तीन संकायाध्यक्षों का मनोनयन किया गया –
- (1) डॉ. व्यास दुबे, संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय
 - (2) डॉ. आर.के. ब्रह्मे, संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय
 - (3) डॉ. शैल शर्मा, संकायाध्यक्ष, कला संकाय
7. बजट वित्तीय वर्ष 2023-24 में A. General Administration 33 E-Governance मद में प्रावधानित राशि रु. 100.00 लाख में से राशि रु. 4.00 लाख (चार लाख) M Deposits & Debt Heads a. Student Aid Fund/Student Welf. मद में पुनर्विनियोजन करने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।
निर्णय: अनुमोदन किया गया।
8. विश्वविद्यालय शोध छात्रवृत्ति 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में चयनित छात्र/छात्राओं को भुगतान किये जाने हेतु वित्तीय सत्र 2023-24 के लिए बजट वित्तीय वर्ष 2023-24 में A. General Administration 33 E-Governance मद में प्रावधानित राशि रु. 100.00 लाख में से रु. 70,00,000/- (सत्तर लाख) A. General Administration 14 Scholarship award by university मद में पुनर्विनियोजन करने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।
निर्णय: अनुमोदन किया गया।
9. गोपनीय मुद्रण हेतु प्रावधानित बजट वित्तीय सत्र 2023-24 के परीक्षा मद 3. Result Procession Charge में प्रावधानित राशि रु. 1100.00 लाख में से परीक्षा मद क्रमांक 2 (c) Question Paper Printing में राशि रु. 210.00 लाख पुनर्विनियोजित किए जाने की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।
निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

10. दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को माह जुलाई-अगस्त, 2023 (26.07.2023 से 25.08.2023) तक का पारिश्रमिक राशि रु. 13,91,401/- (तेरह लाख इक्यानवे हजार चार सौ एक) किए गये भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति एवं भविष्य के लिए स्थायी अनुमति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृतार्थ व विचारार्थ प्रस्तुत है।
निर्णय: दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को वेतन भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने के साथ-साथ भविष्य में इस संदर्भ में वेतन भुगतान हेतु कुलपति जी को स्थायी अनुमति प्रदान की गई।
11. श्री अंजनी कुमार टेंगवार, लैब अटेंडेंट को गुरु घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर के पत्र क्रमांक 1312/Rec/Admin Bilaspur 27 July 2023 के द्वारा Laboratory Assistant के पद पर चयन होने के फलस्वरूप परिनियम-31 की कंडिका 11 के प्रावधानानुसार उनके मांग अनुरूप 02 वर्ष का धारणाधिकार की स्वीकृति प्रदान करते हुए विश्वविद्यालय से कार्यमुक्त किये जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
निर्णय: अनुमोदन किया गया।



12. विश्वविद्यालय के तृतीय/चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को पदोन्नति/कमोन्नति प्रदान करने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 17-08-2023 में की गई अनुशंसा पर विचार करना।

- निर्णय: 1. विश्वविद्यालय में कार्यरत 08 डाटा एन्ट्री आपरेटर्स को छ.ग. शासन वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय, रायपुर के परिपत्र क्रमांक 97/107/वित्त/नियम/चार/2008 दिनांक 28 अप्रैल, 2008 (वित्त निर्देश 11/2008) में निहित प्रावधानानुसार 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के फलस्वरूप प्रथम समयमान वेतनमान प्रदान किए जाने की अनुशंसा।
2. द्वितीय श्रेणी लिपिक के एक रिक्त पद पर 2022 की अंतिम वरिष्ठता सूची अनुसार श्री भूपेन्द्र सिन्हा, नि.व.लि. को आदेश की तिथि से द्वितीय श्रेणी लिपिक के पद पर पदोन्नति की अनुशंसा।
3. श्री धनेश प्रसाद चौबे, नि.व.लि. की प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने के कारण उनकी सेवाएं विश्वविद्यालय को वापस किए जाने के संबंध में अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर से तत्काल कार्यमुक्त करने हेतु पत्र प्रेषित किए जाने की अनुशंसा।
4. श्री हेमन्त कुमार के स्टेनोग्राफर के पद पर दिनांक 05.09.2013 को दी गई पदोन्नति पर संचालनालय, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा, नवा रायपुर प्राप्त आपत्ति के निराकरण हेतु विनियम 91 में स्टेनोग्राफर के पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित अर्हता अनुसार उल्लेखित समस्त दस्तावेजों सहित आवेदक को (पत्र जारी होने के) 15 दिवस के भीतर पदोन्नति/कमोन्नति हेतु गठित समिति के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित होने के संबंध में अनुशंसा।

पदोन्नति/कमोन्नति हेतु गठित समिति द्वारा की गई उपर्युक्त अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

13. शारीरिक शिक्षा विभाग के लिए 300 नग ब्लेजर अनुबंधित फर्म M/s Shams Sports & Stationers, Sadar Bazar, Raipur (C.G.) के द्वारा आपूर्ति पश्चात् क्रय देयक राशि रु. 6,13,550/- (रुपए छः लाख तेरह हजार पाँच सौ पचास मात्र) के भुगतान की स्वीकृति एवं विश्वविद्यालय सामान्य बजट A.Gen.Admn. 35/All Compu. Wi-fi Facility में प्रावधानित राशि रु. 100.00 लाख में से रु. 5.00 लाख E. Director Phy. Edu. 3(ii) Creat Blazer and Tracsuit में पुनर्विनियोजित करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

14. विश्वविद्यालय प्रेक्षागृह कारपेट एवं अन्य सामग्री क्रय देयक के 25 प्रतिशत शेष राशि रु. 07,61,100/- (रुपए सात लाख इकसठ हजार एक सौ मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

15. छ.ग. राज्य कौशल विकास प्राधिकरण, रायपुर एवं पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के मध्य हुए अनुबंध की सूचना ग्रहण करना एवं Joint Certificate Course संचालित किए जाने की अनुमति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय: छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा 1(च) के अंतर्गत अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संस्थाओं से व्यावसायिक प्रशिक्षण) विनियम 2023 में निहित प्रावधानों के तहत कौशल प्रशिक्षण हेतु छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण एवं पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के मध्य दिनांक 28 अगस्त 2023 को National Skills Qualifications Framework (NSQF) आधारित कोर्स (1. Operator-Conventional Turning, 2. Solar PV Installer, 3. Field Technician Networking and Storage. 4 Junior Software Developer) में कौशल प्रशिक्षण हेतु किए गए अनुबंध में उल्लेखित नियम एवं शर्तों के अधीन पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के अंतर्गत (Training Provider Institute (TPI) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

अनुबंध की सूचना ग्रहण करते हुए प्रस्ताव अनुसार स्वीकृति प्रदान की गई।

16. विश्वविद्यालय एवं अन्य निम्नलिखित शैक्षणिक संस्थानों के मध्य वर्ष 2023 में किए गए MoU की सूचना ग्रहण करना।

S. No.	Party	Pt.RSU Department	Purpose	MoU Sign Date
1	Indian Society for VLSI Education (ISVE), Ranchi, Jharkhand, India	Electronics	To establish a program to be established and formalized at a later date for the benefit of students of educational institutions.	14.07.2023
2	Ayodhya Research Institute Department of Culture, Government of Uttarpradesh, Lucknow	Ancient Indian History	For Research and Cultural Activities based on Ramayana.	14.07.2023
3	Shaheed Mahendra Karma Vishwavidyalaya, Bastar	Anthropology	For promotion of students training and quality graduate and postgraduate research in cutting edge areas.	21.07.2023
4	Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur	-	Research based activities, academic, faculty and student exchange programme, collaboration and exchange of Laboratory facilities, Social Connect/Sports activities and National outreach programmes.	27.07.2023
5	Guru Ghasidas Kendriya Vishwavidyalaya, Bilaspur	-	Research based activities, academic, faculty and student exchange programme, collaboration and exchange of Laboratory facilities, Social Connect/Sports activities and National outreach programmes	05.08.2023
6	Dr. Ram Manohar Lohia Avadh University, Ayodhya (U.P.)	-	To establish a program of Academic Cooperation and Educational exchange.	10.08.2023
7	Chhattisgarh Rajya Kaushal Vikas Pradhikaran (CSSDA)	-	Training regarding	28.08.2023
8	The Inter-University Accelerator Center, New Delhi	-	Research & Training Activities	04.09.2023
9	Sant Gahira Guru Vishwavidyalaya, Sarguja, Ambikapur	-	To establish a program of Academic Cooperation and Educational exchange.	05.09.2023


निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

बायोटेक्नालाजी अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

17. विभिन्न शिक्षण संस्थानों के छात्र/छात्राओं को उनके लघु शोध परियोजनाओं एवं लघुशोध प्रबंध पूरा करने की सुविधा मुहैया कराने एवं शोध निर्देशन के एवज में इस अध्ययनशाला ने शुल्क के रूप में अभी तक कुल 15,18,000/- (पन्द्रह लाख अठारह हजार) एकत्र किए हैं, कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 14.02.2020 में लिए गए निर्णय अनुसार यह शुल्क (अ) अध्ययनशाला (ब) परियोजना निर्देशक (स) विश्वविद्यालय एवं (द) अध्ययनशाला के कर्मचारियों के बीच क्रमशः 30%, 30%, 30% एवं 10% की दर से वितरित होती है, परन्तु अध्ययनशाला में उपलब्ध शोध सुविधाओं को और अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से अध्ययनशाला में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने एकमत निर्णय लिया है कि इस एकत्रित शुल्क से अपना हिस्सा नहीं लेंगे तथापि इसका उपयोग शोध उपकरणों की खरीदी के लिए किया जावे। इसी तारतम्य में माननीय कार्यपरिषद् से अनुरोध है कि इस शुल्क में विश्वविद्यालय के हिस्से की जो 30% राशि है उसे इस अध्ययनशाला को अपने शोध सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु खर्च करने की अनुमति प्रदान करना चाहें ताकि छात्र/छात्राएं लघु शोध परियोजनाओं एवं लघुशोध प्रबंध को पूर्ण करने के लिए आकर्षित होंगे।

तदनुसार प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय: अध्ययनशाला में एकत्रित शुल्क के 70 प्रतिशत शोध उपकरणों की खरीदी एवं 30 प्रतिशत विश्वविद्यालय को प्रदान करने पर सहमति प्रदान की गई।



पं. सुन्दर लाल शर्मा ग्रंथागार से प्राप्त प्रस्ताव :-

18. ग्रंथालय समिति की बैठक दिनांक 09-06-2023 के कार्यवृत्त का कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 04-07-2023 विषय क्रमांक 12 में अनुमोदन पश्चात ग्रंथालय बजट 2023-24 में राशि रु. 52.10 लाख पुनर्विनियोजन करने के संबंध में सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

19. विश्वविद्यालय प्रेक्षागृह के 08 जीर्ण प्रसाधन का रिनोवेशन अनुबंधित फर्म मेसर्स स्वास्तिक ट्रेडर्स, रायपुर से पूर्ण कराया गया, कार्य की पूर्णता पश्चात भुगतान योग्य राशि रु. 08,38,044/- (आठ लाख अड़तीस हजार चवालीस) बजट शीर्ष Engineering Unit के सरल क्रमांक 3(d) में प्रावधानित राशि 100.00 से किए जाने की अनुमति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

मूल विज्ञान केन्द्र से प्राप्त प्रस्ताव :-

20. मूल विज्ञान केन्द्र में अष्टम सेमेस्टर के 20 छात्र छात्राओं को माह जनवरी, 2023 से जून, 2023 हेतु कुल राशि रु. 5,55,524/- (पांच लाख पचपन हजार पांच सौ चौबीस) छात्रवृत्ति भुगतान किये जाने पूर्व माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

21. मूल विज्ञान केन्द्र में दशवें सेमेस्टर के 26 छात्र छात्राओं को माह दिसंबर, 2022 से जून, 2023 हेतु कुल राशि रु. 8,32,633/- (आठ लाख बत्तीस हजार छः सौ तैतीस) छात्रवृत्ति भुगतान किये जाने पूर्व माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

वाहन प्रकोष्ठ से प्राप्त प्रस्ताव :-

22. विश्वविद्यालय के समस्त वाहनों की ईंधन आपूर्ति देयक राशि रु. 13,32,954/- (तेरह लाख बत्तीस हजार नौ सौ चौब्वन) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: वाहन प्रकोष्ठ के अंतर्गत संचालित विश्वविद्यालय के समस्त वाहनों की ईंधन आपूर्ति देयकों माह मई, 2023, जून, 2023, जुलाई, 2023 तथा अगस्त के प्रथम पखवाड़े की कुल राशि रु. 13,32,954/- (तेरह लाख बत्तीस हजार नौ सौ चौब्वन) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.09.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय: सम्पुष्टि की गई।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्राध्यापकों को आवेदन के आधार पर उनसे संबंधित अध्ययनशालाओं के रिक्त शैक्षणिक पदों पर दिनांक 01.10.2023 से अध्यापन कार्य हेतु अतिथि प्राध्यापक/निश्चित मानदेय पर नियुक्त (नियमित नियुक्ति तक) किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: आवेदन के आधार पर उच्च शिक्षा विभाग को Pay Minus Pension को आधार मानते हुए निम्नांकित शिक्षकों को संविदा नियुक्ति हेतु प्रस्ताव भेजे जाने का निर्णय लिया गया -

1. डॉ. मिताश्री मित्रा (मानवविज्ञान)
2. डॉ. भगवंत सिंह (तुलनात्मक धर्म दर्शन एवं योग)
3. डॉ. ए.के. गुप्ता (जैविकी)
4. डॉ. सुपर्ण सेनगुप्ता (पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार)

3. विश्वविद्यालय के शैक्षणिक पदों के भर्ती हेतु छ.ग. शासन से संशोधित स्वीकृति पत्र जारी होने की प्रत्याशा में प्राप्त स्वीकृति दिनांक 28.08.2023 के परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक पदों का विज्ञापन जारी किया गया है, कि कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

4. शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति पश्चात् आगामी तिथि पर वेतनवृद्धि संबंधी वित्त निर्देश 26/2023, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्र. 439/2020/वि/नि/चार, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 03.08.2023 को अंगीकृत करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अंगीकृत किया गया।

5. डॉ. अलेख कुमार साहू, सहायक प्राध्यापक, विधि अ.शा. के निलंबन काल को कर्तव्य अवधि के संबंध में विचार करना।

निर्णय: डॉ. अलेख कुमार साहू, सहायक प्राध्यापक, विधि अ.शा. के निलंबन काल को कर्तव्य अवधि के रूप में स्वीकार किए जाने के संबंध में समिति का गठन किया गया, जो अपना प्रतिवेदन आगामी कार्यपरिषद् से पूर्व प्रस्तुत करेंगे। समिति में निम्नांकित सदस्य होंगे –

- (1) डॉ. रोहिणी प्रसाद, आचार्य, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला एवं कार्यपरिषद् सदस्य, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
- (2) वित्त नियंत्रक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

6. राज्य शासन कर्मचारियों की भांति विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन योजना (Old Pension Scheme) का लाभ प्रदाय के संबंध में विचार करना।

निर्णय: राज्य शासन कर्मचारियों की भांति विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन योजना (Old Pension Scheme) का लाभ प्रदाय करने के संबंध में सैद्धांतिक सहमति के साथ शासन से स्वीकृति हेतु पुनः पत्र प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।

7. विश्वविद्यालय से दिनांक 01.01.2016 के पश्चात् सेवानिवृत्त शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को छ0ग0 पुनरीक्षित वेतनमान 2017 (सांतवें वेतनमान) में पेंशन प्रदाय किए जाने हेतु विधिवत आदेश जारी किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय से दिनांक 01.01.2016 के पश्चात् सेवानिवृत्त शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को छ0ग0 पुनरीक्षित वेतनमान 2017 (सांतवें वेतनमान) में पेंशन प्रदाय किए जाने हेतु सैद्धांतिक सहमति के साथ विधिवत आदेश जारी किए जाने के लिए शासन को पुनः पत्र प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।

8. कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर (छ.ग.) न्यायालय पेशनर्स लोक अदालत रायपुर छ. ग. –आवेदक डॉ. रविन्द्रनाथ मिश्रा, सेवानिवृत्त कीडाधिकारी, शास. महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुंद के “उपस्थिति दिवसों के लंबित वेतन भुगतान” प्रकरण क्रमांक 32/2023 के संबंध में विचार करना।

निर्णय: कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर (छ.ग.) न्यायालय पेशनर्स लोक अदालत रायपुर छ.ग. –आवेदक डॉ. रविन्द्रनाथ मिश्रा, सेवानिवृत्त कीडाधिकारी, शास. महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुंद के “उपस्थिति दिवसों के लंबित वेतन भुगतान” प्रकरण क्रमांक 32/2023 के संबंध में समिति गठन किया गया, जो अपना प्रतिवेदन आगामी कार्यपरिषद् से पूर्व प्रस्तुत करेंगे। समिति में निम्नांकित सदस्य होंगे –

- (1) वित्त विभाग छ.ग. शासन से नामित एक प्रतिनिधि
- (2) उच्च शिक्षा विभाग छ.ग. शासन से नामित एक प्रतिनिधि
- (3) डॉ. आर.के. ब्रह्मे, आचार्य, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला एवं कार्यपरिषद् सदस्य, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
- (4) डॉ. राजीव चौधरी, आचार्य, शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला एवं कार्यपरिषद् सदस्य पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर



9. विश्वविद्यालयीन शिक्षकों के सातवें वेतनमान के 01.01.2016 से 31.03.2018 तक के एरियर्स भुगतान के संबंध में विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालयीन शिक्षकों के सातवें वेतनमान के 01.01.2016 से 31.03.2018 तक के एरियर्स भुगतान के संबंध में सैद्धांतिक सहमति के साथ शासन को पुनः पत्र प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।

10. अवकाश नियमों के विपरीत आदेश तथा एक ही तथ्य के लिए तीन दण्ड से दण्डित करने विषयक अपील अभ्यावेदन – डॉ. जी.के. देशमुख, सहायक प्राध्यापक, प्रबंध संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर (छ.ग.)

निर्णय :अवकाश नियमों के विपरीत आदेश तथा एक ही तथ्य के लिए तीन दण्ड से दण्डित करने विषयक अपील अभ्यावेदन – डॉ. जी.के. देशमुख, सहायक प्राध्यापक, प्रबंध संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर (छ.ग.) की अनुपस्थिति अवधि के संदर्भ में अवकाश नियमों के आलोक में प्रकरण के परीक्षण तथा संस्तुति के संबंध में समिति गठन किया गया, जो अपना प्रतिवेदन कार्यपरिषद् की आगामी बैठक से पूर्व प्रस्तुत करेंगे। समिति के सदस्य निम्नलिखित होंगे –

- (1) डॉ. रोहिणी प्रसाद, आचार्य, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला एवं कार्यपरिषद् सदस्य, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
- (2) डॉ. व्यास दुबे, आचार्य एवं अध्यक्ष, सांख्यिकीय अध्ययनशाला एवं कार्यपरिषद् सदस्य, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
- (3) वित्त नियंत्रक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

11. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की पदोन्नति/पदोन्नति चैनल बनाए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की पदोन्नति/पदोन्नति चैनल बनाए जाने हेतु व्यय भार की जानकारी सहित सहायक प्रोग्रामर/सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर के 10 पद (वेतनमान 9300–34800/4200 लेवल 8) स्वीकृत किए जाने पर विचार किए जाने हेतु प्रकरण आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।

12. छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक 571/260/वि./नि./चार/2020 नवा रायपुर, दिनांक 12/09/2023, वित्त निर्देश 33/2023 के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में प्रथम 03 वर्ष में क्रमशः वेतनमान के न्यूनतम का 70% 80% एवं 90% स्टायपेण्ड दिये जाने के प्रावधान को समाप्त करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक 571/260/वि./नि./चार/2020 नवा रायपुर, दिनांक 12/09/2023, वित्त निर्देश 33/2023 को अंगीकृत किया गया।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

13. डॉ. निस्तर कुजूर, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, समाजशास्त्र अध्ययनशाला द्वारा भविष्य निधि से आंशिक पूर्ण भुगतान दिनांक 23.08.2023 को भूखण्ड क्रय हेतु राशि रु. 10,00,000.00 (रुपए दस लाख मात्र) भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

14. डॉ. ए.के. गुप्ता, प्रोफेसर जैविकी अध्ययनशाला के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 43,91,425.00 (रुपए तिरालीस लाख इंक्यानबे हजार चार सौ पच्चीस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

15. श्री विष्णु राम वर्मा, कनिष्ठ अधीक्षक, वित्त विभाग के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 12,57,598.00 (रुपए बारह लाख संतावन हजार पाँच सौ अठानबे मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

16. श्री विष्णु राम वर्मा, कनिष्ठ अधीक्षक, वित्त विभाग के अवकाश नगदीकरण की राशि रुपए 5,73,680.00 (रुपए पाँच लाख तिहत्तर हजार छः सौ अस्सी मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

17. विभिन्न अध्ययनशालाओं के अतिथि शिक्षकों को प्रतिमाह मानदेय भुगतान हेतु स्थाई स्वीकृति प्रदान किए जाने एवं कुल 62 अतिथि शिक्षकों के माह अप्रैल-मई 2023 के मानदेय की कुल राशि रु. 16,56,900.00 (रुपए सोलह लाख छप्पन हजार नौ सौ मात्र) एवं 64 अतिथि शिक्षकों के माह जुलाई-अगस्त 2023 के मानदेय की कुल राशि रु. 17,40,600.00 (रुपए सत्रह लाख चालीस हजार छः सौ मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही अध्ययनशालाओं के अतिथि शिक्षकों को प्रतिमाह मानदेय भुगतान हेतु कुलपति जी को स्थायी स्वीकृति प्रदान की गई।

18. शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त को माह जुलाई-2023 के डीए की अंतर की राशि एरियर्स के भुगतान उपरांत कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

रसायन अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

19. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भिलाई को शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग हेतु MoU के संबंध में विचार करना।

निर्णय: पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भिलाई को शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग हेतु Memorandum of Understanding (MoU) प्रस्तावित किया गया है। यह समझौता ज्ञापन दोनों संस्थानों के बीच छात्रों और शिक्षकों को अनुसंधान, विकास और प्रशिक्षण की दृष्टि से उत्कृष्ट अवसर प्रदान करेगा। एम.ओ.यू. हस्ताक्षर करने की तिथि से 05 वर्ष तक वैध रहेगा।

MoU की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार है :-

1. सामाजिक परिवर्तन के लिए FINTECH परियोजना में सहयोग एवं अनुदान प्राप्ति के अवसर।
2. संयुक्त डिग्री कार्यक्रम यथा बी.टेक.-बी.एड्. जैसे पाठ्यक्रमों के संयुक्त संचालन के अवसर।
3. आपसी हित के विषयों पर संयुक्त रूप से अल्पकालिक सतत शिक्षा कार्यक्रम तथा संयुक्त सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के संचालन के अवसर।

प्रस्ताव अनुसार स्वीकृति प्रदान की गई।

20. कंसल्टेंसी रेगुलेशन के अंतर्गत रूटीन टेस्टिंग (Chemical/Instrumental Sample analysis) फीस तथा नियम एवं शर्तों की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

21. वार्षिक परीक्षा 2023 में लापरवाही बरतने वाले प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष को चेतावनी तथा संबंधित वीक्षकों को नियमानुसार परीक्षा कार्यों से आगामी वर्षों के लिए डी-बार करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: संबंधित वीक्षकों को 03 वर्ष के लिए डी-बार करने का अनुमोदन किया गया।



22. वार्षिक परीक्षा 2023, बी.ए. भाग-3 एवं बी.एस-सी. भाग-3 (विषय-आधार पाठ्यक्रम अंग्रेजी) के घोषित परीक्षा परिणाम के संबंध में विचार करना।
निर्णय: उत्तर-पुस्तिका के मूल मूल्यांकनकर्ता को परीक्षा कार्य से 03 वर्ष के लिए डी-बार किए जाने का अनुमोदन किया गया।

मानव संसाधन विकास केन्द्र से प्राप्त प्रस्ताव :-

23. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त पत्र D.O.No. F.1-5/2022(CBCfqw/ties) Pt.Fie के द्वारा Human Resource Development Centre का नाम परिवर्तन कर Malaviy Mission Teacher Training Centre (MMTTC) किए जाने के संबंध में विचार करना।
निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

24. विश्वविद्यालय के पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार एवं विभिन्न अध्ययनशालाओं के लिए पुस्तक क्रय के संबंध में विचार करना।
निर्णय : विश्वविद्यालय के पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार एवं विभिन्न अध्ययनशालाओं के लिए पुस्तक क्रय हेतु निविदा सूचना क्र. 671/विकास/2023 रायपुर, दिनांक 15.09.2023 छ.ग. संवाद के माध्यम से 02 प्रदेश स्तरीय एवं 02 राष्ट्रीय स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु पत्र क्र. 670/विकास/2023 रायपुर, दिनांक 15.09.2023 प्रेषित किया गया है। पुस्तक क्रय हेतु विश्वविद्यालय बजट में रु. 50=00 लाख (रुपए पचास लाख मात्र) का प्रावधान किया गया है, की सूचना ग्रहण की गई।

मूल विज्ञान केन्द्र से प्राप्त प्रस्ताव :-

25. मूल विज्ञान केंद्र के द्वितीय सेमेस्टर के 37 छात्र-छात्राओं को माह दिसम्बर 2022 से जून 2023 हेतु कुल राशि रु. 6,53,267/- (रुपए छः लाख तीरपन हजार दो सौ सड़सठ मात्र) छात्रवृत्ति भुगतान किए जाने के संबंध में विचार करना।
निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

26. लोक निर्माण विभाग के पत्र दिनांक 12.09.2023 के अनुसार डिपाजिट मद के तहत संपादित किए जाने वाले कार्यों के लिए सम्पूर्ण राशि रूसा योजना के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग को राशि रु. 295.32 लाख का भुगतान किए जाने के संबंध में विचार करना।
निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

1. Ideathon के आयोजन के संबंध में विचार करना।
निर्णय: Ideathon के माध्यम से प्रतिवर्ष UTD छात्रों के Innovation Ideas आमंत्रित कर उसमें से 05 सर्वोत्तम Ideas वाले छात्र/छात्र समूह को प्रति Ideas रुपए 10,000/- (रुपए दस हजार मात्र) प्रोत्साहन राशि प्रदान करते हुए इन 05 Ideas को विश्वविद्यालय शिक्षक (50 वर्ष से कम आयु के) के पर्यवेक्षण में Research Projects में परिवर्तित करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। तदोपरांत इन 3 से 4 Research Projects को गुणवत्ता मूल्यांकन के उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा रु. 3.00 लाख से 5.00 लाख तक की Startup Grant प्रदान की जाएगी। इस प्रस्ताव को वित्तीय वर्ष 2024-25 से लागू किए जाने की सहमति के साथ Ideathon आयोजन की अनुमति प्रदान की गई। आवश्यकतानुसार इस संदर्भ में विनियम बनाए जाने की स्वीकृति दी गई।
2. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु-1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.09.2023 के बिंदु क्रमांक 4 के निर्णय शासकीय दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर को अर्थशास्त्र विषय में शोध केंद्र की मान्यता प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।



3. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु-1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.09.2023 के बिंदु क्रमांक 6 के निर्णय प्रस्तावित संशोधित अध्यादेश क्रमांक 149 एवं 150 पर विचार करना।

निर्णय: प्रस्तावित संशोधित अध्यादेश क्रमांक 149 एवं 150 का अनुमोदन किया गया।

4. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु-1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.09.2023 के बिंदु क्रमांक 8 के निर्णय बी.एस-सी. के अध्यादेश क्रमांक 21 की कंडिका 6 उप कंडिका 2 के सरल क्रमांक 26 एवं 27 में विषय समूह निर्धारण के संबंध में विचार करना।

निर्णय: निर्णय: बी.एस-सी. के अध्यादेश क्रमांक 21 की कंडिका 6 की उप कंडिका (ii) के सरल क्रमांक 26 एवं 27 में विषय समूह निर्धारण हेतु अध्यक्ष अध्ययन मण्डल द्वारा निम्नानुसार विषय समूह निर्धारण किए जाने का अनुमोदन किया गया -

(26) Physics, Mathematics, Computer Science/Information Technology/Computer Application.

(27) Chemistry, Mathematics, Computer Science/Information Technology/Computer Application


5. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु-1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.09.2023 के बिंदु क्रमांक 13 में प्रस्तावित पं. रविशंकर विश्वविद्यालय में Distinguished Professor के Honorary Engagement के संबंध में प्रस्तावित विनियम के संबंध में विचार करना।


निर्णय: पं. रविशंकर विश्वविद्यालय में Distinguished Professor के Honorary Engagement के संबंध में विनियम क्रमांक 204 का अनुमोदन किया गया।

6. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु-1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.09.2023 के बिंदु क्रमांक 14 के निर्णय स्नातक स्तर चार वर्षीय पाठ्यक्रम (FYUP) संबंधित अध्यादेश क्रमांक 197 में संशोधन/एकरूपता हेतु गठित समिति द्वारा आवश्यक संशोधन उपरांत प्रस्तुत अध्यादेश के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्नातक स्तर चार वर्षीय पाठ्यक्रम (FYUP) संबंधित अध्यादेश क्रमांक 197 में संशोधन/एकरूपता हेतु गठित समिति द्वारा आवश्यक संशोधन उपरांत प्रस्तुत अध्यादेश का अनुमोदन किया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष



कुलसचिव
सचिव

पृ.क्रमांक : 778 / अका./ का.प./ 2023

रायपुर, दिनांक 22/09/2023

प्रतिलिपि :-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
4. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
6. संचालक, आई.क्यू.ए.सी.
7. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
8. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
9. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप-कुलसचिव (अका.)